

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत 24 अगस्त तक आनलाइन आवेदन आमंत्रित

लखनऊ : 17 अगस्त, 2026

उत्तर प्रदेश के मत्स्य विभाग द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत खारे जल में तालाब निर्माण एवं निवेश हेतु 33.93 हेक्टर (सामान्य, महिला एवं अनुसूचित जाति), मध्याकार आर०ए०एस० में 3 यूनिट (सामान्य वर्ग) एवं रियरिंग यूनिट के निर्माण 22.667 हेक्टर (महिला एवं अनुसूचित जाति), बैकयार्ड आरएएस 241 यूनिट (महिला वर्ग), जलाशय में मत्स्य अंगुलिका संचय 65000 अंगुलिका (सामान्य, महिला एवं अनुसूचित जाति) एवं 500 यूनिट पारंपरिक मछुआरों के परिवारों के लिए आजीविका और पोषण संबंधी सहायता परियोजनाओं हेतु उपलब्ध अवशेष लक्ष्य के सापेक्ष योजना के लाभ से जनसामान्य को आच्छादित करने के लिए आनलाइन आवेदन प्राप्त करने हेतु विभागीय पोर्टल <http://fisheries.up.gov.in> विगत 14 अगस्त, 2026 से खोला गया है। आवेदन करने की अन्तिम तिथि 24 अगस्त, 2026 है। योजनान्तर्गत परियोजनाओं का विवरण, इकाई लागत, आवेदन करने की प्रक्रिया, आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले अभिलेख व विस्तृत विवरण एवं विज्ञापन विभागीय पोर्टल <http://fisheries.up.gov.in> पर देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त मत्स्य विभाग के जनपदीय, मण्डलीय व अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

सम्पर्क सूत्र-निधि वर्मा

वैशाली माथुर/02:07PM